चरण सिंह

के जीवन का कालक्रम

23 दिसम्बर 1902 - 29 मई 1987

हर्ष सिंह लोहित

कापीराइट © हर्ष सिंह लोहित, 2018

लेखक पॉल आर. ब्रास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिनकी प्रेरणा एवं उनके द्वारा
उत्तर प्रदेश की राजनीति एवं चरण सिंह के जीवन पर किये गये विस्तृत कार्य के अभाव में
इस कालक्रम का लेखन सम्भव न हो पाता।

चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.org
info@charansingh.org

अनुवादकः भोला शंकर शर्मा

मूल्य 25 रुपये
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

1898: बुलंदशहर ज़िले के ग्राम भटौना से बादाम सिंह के 18 वर्षीय पुत्र मीर सिंह का बुलंदशहर के ही गांव चितसौना अलीपुर की नेत्र कौर के साथ विवाह। मीर सिंह कुचेसर के जमींदार (भूस्वामी) के स्वामित्व वाली नूरपुर गांव में पाँच एकड़ जमीन के जोतदार,

- एक भूमिहीन किसान थे। उनके पांच बच्चों में सबसे बड़े **चरण सिंह का जन्म आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नूरपुर गांव में 23 दिसम्बर 1902 को हुआ।**

1903: मीर सिंह मेरठ जिले में 60 किलोमीटर उत्तर, भूपगढ़ी में आ बसे, जहां उनका परिवार 1922 तक रहा।

- चरण सिंह ने प्राथमिक शिक्षा चौथी कक्षा तक एक किलोमीटर दूर जानी खुर्द गांव में प्राप्त की,और कुछ परीक्षाएं पाँच किलोमीटर दूर सिवाल गांव में दीं।

1913-1919: चरण सिंह ने स्कूली शिक्षा 15 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में प्राप्त की।

- **1913:** मॉरल ट्रेनिंग स्कूल के प्राइवेट बोर्डिंग में चले गये, सबसे बड़े चाचा लखपत सिंह ने उनकी शिक्षा का खर्च वहन करने का वादा किया।
- **1914:** मेरठ गवर्नमेंट हाई स्कूल में छठी कक्षा में प्रवेश लिया। 9 वीं कक्षा से विज्ञान विषय लिया, शुरुआत में ही अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास में विशेष योग्यता दिखाई। यहीं से मैट्रिक्यूलेशन (कक्षा 10) उत्तीर्ण की।

1919-1923: आगरा कालेज, आगरा में विज्ञान स्नातक का अध्ययन।

- विज्ञान विषय सहित इन्टरमीडिएट (कक्षा 12) में अध्ययन।
- मेरठ के प्रतिष्ठित डॉक्टर भोपाल सिंह द्वारा, जो प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करते थे, 10 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति।
- खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज शिक्षा के बायकॉट करने का निश्चय किया, किन्तु बाद में बड़ों के समझाने पर शिक्षा पूरी करने को राजी हुए।
- **1921:** 'यंग इंडिया' में लिखे गांधी जी के लेखों से प्रेरित होकर जाति की कट्टरता पर हमला बोला, युवा चरण सिंह ने अपने हॉस्टल के वाल्मीकि (सफाईकर्मी) द्वारा तैयार तथा परोसा गया भोजन खाया। हॉस्टल के साथियों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया और हॉस्टल की रसोई में खाना खाने से उन्हें मना कर दिया गया, पर वे अटल रहे।
- **1922:** रुड़की इंजीनियरिंगकॉलेज की परीक्षा में शामिल हुए और सफल रहे, किन्तु ड्रॉइंग में निम्नतम अंकों से भी कम अंक प्राप्त करने पर प्रवेश पाने योग्य नहीं समझे गये। यहां शैक्षिक असफलता से उनका पहला सामना हुआ। इस अनुभव ने भविष्य के लिए उन्हें सिखाया कि हर विषय पर, वह चाहे कितना भी अमहत्वपूर्णदिखे, पूरा ध्यान देना चाहिए।
- **1922:** मीर सिंह मेरठ जिले से भदौला गांव आ गये, जहां उन्होंने कुछ जमीन खरीदी और जीवन के अन्त तक रहे।

1923-1925: आगरा कालेज से इतिहास में स्नातकोत्तर अध्ययन।

- ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के इतिहास का अध्ययन।
- **25 जून 1925:** संयुक्त पंजाब, रोहतक जिले के ग्राम गढ़ी कुण्डल की गायत्री देवी से विवाह। जालंधर के कन्या महाविद्यालय से हाई स्कूल पास, गायत्री देवी का सम्बंध एक आर्यसमाजी परिवार से था।

1927: मेरठ कालेज, मेरठ (जो उस समय आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था) **से कानून (एल.एल.बी.) की डिग्री हासिल की।**

- उनके सिद्धातों ने उनके चरित्र और कार्यों को एक दिशा दी। इस मूल सामाजिक विश्वास को दृढ़ किया कि हिन्दू समाज में व्याप्त जातीय विभाजन तमाम दोषों का मूलभूत कारण है।
- चौधरी साहब ने बड़ौत जाट हाई स्कूल, मेरठ और लखावटी जाट डिग्री कालेज, बुलंदशहर में प्रधानाचार्यका पद तब तक स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जब तक कि उनके नाम के आगे जुड़ा जाति-सूचक 'जाट' शब्द नहीं हटाया जाता, जिसे प्रबंधकों ने नहीं हटाया। सामाजिक जीवन में जातिगत अभिमान के प्रति निष्ठा का विरोध किया।
    - उनकी सबसे बड़ी संतान सत्या का जन्म 14 सितम्बर 1927 को हुआ।

1928: मेरठ जिले के गाजियाबाद में वकालत (सिविल) की प्रैक्टिस शुरू की, जिसे 1939 तक जारी रखा।

उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, तर्क-क्षमता, दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता, मामले की गहराई तक जाने की प्रवृत्ति, कठिन परिश्रम और गरीबों के प्रति सहानुभूति ने उनकी वकालत को नई ऊँचाइयां दीं। उनका प्रयास होता था कोर्ट (न्यायालय) में जाये बिना ही विरोधी पक्षों के बीच समझौता करा देना।

1929: 27 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और 1967 तक रहे।

- गाजियाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, जिसमें कि वह 1939 तक विभिन्न चयनित पदों पर रहे।

1930: मेरठ जिले में आर्यसमाज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रहे।

- यहीं दयानन्द सरस्वती के धार्मिक विचारों से परिचय हुआ और मोहनदास गांधी की राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधारा से प्रभावित हुए।
- **1930 -1939:** गाजियाबाद आर्यसमाज समिति के अध्यक्ष या महासचिव रहे।
- **5 अप्रैल 1930:** गांधी जी का नागरिक अवज्ञा आन्दोलन शुरू होने पर नमक सत्याग्रह में भाग लिया और पहली बार छह साल के लिए अंग्रेजों की जेल में भेजे गये। उनकी पत्नी गायत्री देवी ने घर-परिवार चलाने के लिए अपनी एकमात्र सोने की चूंड़ियां बेच दीं और अध्यापिका की नौकरी छोड़कर गाजियाबाद से गांव चली गयीं।
    - 17 सितम्बर 1930 को उनकी दूसरी बेटी वेद का जन्म हुआ।

जनवरी 1931: मेरठ जिला बोर्ड के चुनावों में निर्विरोध चुने गये। चौधरी खुशीराम (अध्यक्ष) और मौलवी वशीर अहमद (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) के साथ मिलकर 1935 तक उपाध्यक्ष रहे।

- **1932:** 'कम्युनल अवार्ड' के विरोध में गाजियाबाद में कांग्रेस आन्दोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष , जो दोनों जेल में थे, की अनुपस्थिति में उन्हें जेल से बाहर रहने और पार्टी का कामकाज देखने का निर्देश दिया।
- ग्रामीण क्षेत्रों की व्यापक यात्राएं कीं, मेरठ के ग्रामांचल में व्याप्त गरीबी का खुलासा और सामाजिक बुराईयों से उनका आमना-सामना हुआ। इन सबके चलते उनमें यह आश्वस्ति पैदा हुई कि राष्ट्र की उन्नति एवं इन बुराईयों से मुक्ति के लिए अंग्रेजी राज की समाप्ति पहला कदम है।
    - गाजियाबाद नगरपालिका के एक शोषक कर्मचारी के पंजों से एक विधवा और उसकी युवा पुत्री को छुटकारा दिलाया, बेटी का विवाह सम्पन्न कराया तथा मां को सहारा दिलाने में मदद की।
    - रईसपुर गांव में एक बूढ़े दुकानदार से एक अल्पवयस्क बालिका की शादी रुकवाने में असफल रहे, बेहद गरीबी के चलते पिता द्वारा कम उम्र पुत्री के विवाह की इस घटना ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी और जीवन में लम्बे समय तक उनके मानस पटल पर अंकित रही।
    - अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजों के दमनकारी शासन के रूप में देखा और एक मजिस्ट्रेट के विरोध के बावजूद अपने कुछ मुकदमों में पैरवी की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग किया। भारत की राष्ट्रीय एवं सूत्र भाषा के रूप में हिन्दी के सक्रिय समर्थक बने।
- परिषद के एक कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा उनके निरीक्षण-यात्रा के लिए तैयार किये गये झूठे यात्रा-बिलों को वापस कर दिया और निजी कार्यों के लिए बोर्ड से चपरासी लेना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शुचिता के ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित किये, जिनसे आने वाले दिनों में सरकारी पदों पर रहते हुए ईमानदारी के मानदंडों को सार्वजनिक रूप से परिभाषित किया गया।
- **1932:** जातिवाद के विरुद्ध अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए एक *हरिजन* (तब दलितों को यही कहा जाता था) को रसोईया रखा, जो उनके साथ 1939 तक रहा।
    - 23 सितम्बर को तीसरी संतान ज्ञान का जन्म हुआ।

25 फरवरी 1937: 34 वर्ष की आयु में संयुक्त प्रांत विधान सभा के सीमित निर्वाचन क्षेत्र से दिसम्बर 1936 में मेरठ जिले (दक्षिण-पश्चिम), जिसमें बागपत और गाजियाबाद तहसील शामिल थीं, से कांग्रेस के टिकट पर चुने गये (उस समय मेरठ, मुजफ्फरनगर और मथुरा जिले दिल्ली जिला कांग्रेस के हिस्से थे)।

- ***जमींदारों की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी*** के प्रत्याशी को हरा कर 78.06 प्रतिशत मत प्राप्त किये।
- छपरौली विधान सभा क्षेत्र से लगातार आठ बार चुने गये: 1937, 1946, 1952, 1957, 1962, 1967, 1969 और 1974।
    - 23 फरवरी 1937 को चौथी संतान सरोज का जन्म हुआ।

17 जुलाई 1937 से 2 नवम्बर 1939: विधान सभा में बहुमुखी ग्रामीण और किसान-समर्थक कानून और कांग्रेस विधान मंडल दल में प्रगतिशील प्रस्ताव तैयार किये तथा पेश किये। राज्य कांग्रेस नेतृत्व की नजरों में जगह बनाई।

प्रशासन और पुलिस के कमजोर कार्य-प्रदर्शन के चलते कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक बुलाने और उसमें विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव। गोविन्द बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया से निराश।

- **नवम्बर 1938:** चरण सिंह ने काकोरी षडयंत्र काण्ड से प्रसिद्ध हुए विष्णु शरण दुबलिश के अंडमान जेल से 10 वर्ष की सजा काटकर लौटने के अवसर पर उनके सम्मान में गाजियाबाद में एक विशाल जनसभा आयोजित की। वे जीवनभर के लिए मित्र और राजनीतिक सहयोगी बन गये, और आगे उन्होंने मेरठ में चरण सिंह का राजनीतिक आधार मजबूत किया।
- **1938:** शोषणकारी अनाज विक्रेताओं एवं व्यापारियों के विरुद्ध अन्न उत्पादकों के हितों को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से एक प्राइवेट बिल के रूप में *'कृषि उत्पाद विपणन बिल'* का मसौदा पेश किया। चरण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के मसौदे पर आधारित 1940 में सर छोटूराम के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मंडी समिति कानून पारित किया। उत्तर प्रदेश में इस बिल को पारित होने के लिए, 1964 में चौधरी साहब के कृषि मंत्री बनने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।
- 31 मार्च 1939 और 1 अप्रैल 1939 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एवं लखनऊ में, कृषि उत्पादकों के संरक्षण हेतु विधायी उपायों पर आधारित लेख प्रकाशित हुए। अंग्रेजी में लिखे, तार्किक रूप से प्रस्तुत, आंकड़ों (डाटा) पर आधारित यह लेख उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान समाचार-पत्रों में किये गये विस्तृत लेखन के अग्रगामी ध्वजवाहक हैं।
- **अप्रैल 1939:** सभी पट्टेदारों या वास्तविक जोतदारों को वार्षिक लगान का दस गुना एकमुश्त जमा करने पर, जिस जमीन पर वे खेती करते थे, उसका मालिकाना हक देने के लिए 'लैण्ड यूटिलाइजेशन बिल' तैयार किया। इस बिल का *जमींदारों* द्वारा कड़ा विरोध हुआ और इसे विधान सभा में नहीं रखा जा सका।
- **5 अप्रैल 1939:** कांग्रेस विधान मंडल दल की कार्यकारिणी के समक्ष इस आशय का प्रस्ताव रखा कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 50 प्रतिशत स्थान खेतिहरों की संतानों और उनके आश्रितों के लिए आरक्षित रखे जायें।
- **अप्रैल 1939:** कांग्रेस विधान मंडल दल के सम्मुख इस आशय का प्रस्ताव रखा कि अनुसूचित जाति के मामलों को छोड़कर, शिक्षण संस्थानों या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के समय किसी भी हिन्दू से उसकी जाति के बारे में न पूछा जाये। पार्टी ने इस प्रस्ताव पर विचार भी नहीं किया।
- **1939:** 'संयुक्त प्रांत कृषक एवं खेतिहर ऋण-मुक्ति विधेयक' तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा की, जिससे उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान सूदखोरों के कर्ज के फंदे से मुक्ति पा सके और उनके खेत नीलाम होने से बच गये। उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम- 1939 (यू.पी. टेनेंसी एक्ट-1939) के अन्तर्गत किसानों को राहत देने के लिए राजस्व मंत्री से बात की।
- कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक की मांग की, जिसमें उन्होंने आम जनता की जरूरतों के प्रति अंग्रेज प्रशासन की उत्तरदायित्वहीनता और पुलिस प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ आवाज उठाई।
    - द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन ने इकतरफा तौर पर भारत की सहभागिता की घोषणा कर दी। विरोध में सभी कांग्रेसी राज्य सरकारों ने इस्तीफे दे दिये।

दिसम्बर 1939: कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद **गाजियाबाद से मेरठ शहर चले आये।**

- 1939 से 1946: मेरठ जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष या महासचिव रहे।
- मेरठ जिले के सम्माननीय प्रमुख कांग्रेसी नेता और बड़े जमींदार रघुवीर नारायण सिंह के जन्मजात विशेषाधिकार से व्यक्तिगत क्षमता को, नेतृत्व का महत्वपूर्ण हस्तांतरण हुआ।
    - 12 फरवरी 1939 को पाँचवीं संतान अजित का जन्म हुआ।

नवम्बर 1940-अक्टूबर 1941: 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' आन्दोलन के दौरान दूसरी बार बरेली जेल भेजे गये।

- प्रारम्भ में मेरठ जेल में रखे गये और बाद में बरेली जेल भेजे गये। वहां उन्होंने लगातार अध्ययन किया और जेल डायरियां लिखीं, जिनमें जॉन स्ट्रेसी की 'दि थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ सोशलिज्म', एडगर स्नो की 'रेड स्टार ओवर चाइना', सिडनी और बिट्राइस वेव की 'सोवियत कम्युनिज्म', एमिल बर्न्स की 'ए हैण्ड बुक ऑफ मार्क्सिज़्म, जी.डी.एस. कोले की 'प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स' जैसी किताबों से बड़े पैमाने पर लिये गये अंश उद्धृत हैं। यूरोपियन, इंग्लिश, रशियन और भारतीय कृषि पर विस्तृत रिपोर्ट्स का अध्ययन किया।
- भारतीय परम्पराओं और आचार-विचार पर जेल से अपने बच्चों को पत्राचार के रूप में प्रेषित हिन्दी में *'शिष्टाचार'* पुस्तक लिखी। किसी को क्षति न पहुंचाने वाली इस पाण्डुलिपि को पुलिस ने जब्त कर लिया और उन्हें सालों बाद लौटाया। इस बीच उनका परिवार बेहद परेशानियों के बीच गांव में इधर-उधर रहा।

23 अक्टूबर 1942-नवम्बर 1943: भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 13 महीने के लिए तीसरी जेल यात्रा

- जेल जाने से पूर्व गाजियाबाद, हापुड़, मवाना, सरधना और बुलंदशहर में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध ढाई महीने तक भूमिगत संघर्ष चलाया। पुलिस ने 'देखते ही गोली मार देने' का आदेश जारी किया, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से समर्पण कर दिया। जेल से छूटने पर वापस सिविल लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक कठिनाइयों भरा जीवन जिया।
    - छठी एवं अंतिम संतान, शारदा का जन्म 23 दिसम्बर 1942 को हुआ।

नवम्बर 1945: प्रशासन को अधिकाधिक प्रतिनिधि मूलक और उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से सरकारी सेवाओं में किसानों को, जो संयुक्त प्रांत की ग्रामीण जनसंख्या में 85% थे, नौकरी देने का प्रस्ताव रखा।

- चरण सिंह ने 9 सितम्बर 1945 को भूमि और कृषि पर एक कांग्रेस घोषणा-पत्र का मसौदा तैयार किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की गयी। नवम्बर 1945 में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में बनारस में हुई किसानों की सभा में इसे अंगीकार किया गया। और यही मसौदा दिसम्बर 1945 में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का आधार बना।

21 मार्च 1946-12 मई 1948: चरण सिंह संयुक्त प्रांत विधान सभा के लिए मेरठ जिले (दक्षिण-पश्चिम) से दूसरी बार चुने गये और यू.पी. कांग्रेस मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव (कनिष्ठ मंत्री) नियुक्त किये गये।

- 24 अप्रैल 1946-सितम्बर 1947: राजस्व मंत्री हुकुम सिंह के संसदीय सचिव।
    - यह सुनिश्चित किया कि राजस्व सम्बंधी अभिलेखों में अनुसूचित जाति के अलावा अन्य पट्टाधारकों की जाति दर्ज नहीं की जायेगी।
    - भूमि सुधार नियमावली में एक नया अनुच्छेद शामिल किया, जिसके तहत जनहित उद्देश्यों के लिए आधे मील के अन्दर उपलब्ध ऊसर या अनुपयोगी जमीन के होते हुए कृषि भूमि के अधिग्रहण का निषेध किया गया।
- **सितम्बर 1947 की शुरूआत - 12 मई 1948:** स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री आत्माराम गोविन्दराम खेर के निजी सचिव। चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभागों का स्वतंत्र प्रभार मिला।

14 नवम्बर 1946-3 जुलाई 1948: कांग्रेस की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार समिति (जेड.ए.एल.आर.सी.) के सदस्य, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का जिम्मा सौंपा गया।

- **जेड.ए.एल.आर.सी. ने 'संयुक्त प्रांत जमींदारी उन्मूलन समिति' की रिपोर्ट प्रकाशित की।** सुपरिन्टेंडेन्ट, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद, यू.पी.। पृष्ठ 611 ।
- **1 सितम्बर 1946:** जबकि जेड.ए.एल.आर.सी. विवेचना कर रही थी, जोतदारों से, जिस जमीन को वे जोतते थे, खाली कराने से रोकने के लिए यू.पी. टेनेन्सी एक्ट में सुधार सुनिश्चित किया और 1 जनवरी 1940 तक, जिनसे भूमि खाली करवा ली गयी थी, उन्हें बहाल किया गया।
- **12 जनवरी 1948:** सभी जोतदारों को उस जमीन पर, जिस पर उनकी झोपड़ी बनी थी, उत्तर प्रदेश विलेज आबादी एक्ट के तौर पर उनके हस्तांतरण का अधिकार सुनिश्चित किया गया। यह सभी किसानों, विशेषकर अनुसूचित जातियों के लिए एक वरदान था, क्योंकि यह कानून जमीन खाली कराने से जमींदारों को बाधित करता था।
- **1946:** उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1967 तक सदस्य।
- **1946 से:** उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल के महासचिव। 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द से मतभेदों के चलते इस्तीफा।
- **21 मार्च 1947:** कांग्रेस विधान मंडल दल के सम्मुख किसान संतानों को सरकारी नौकरियों में 60% आरक्षण देने हेतु एक उत्साही और सुगठित प्रस्ताव रखा।
    - **1947: *'हाउ टू एबोलिश जमींदारीः व्हिच आल्टरनेटिव सिस्टम टू एडॉप्ट'* पुस्तिका का 1947 में प्रकाशन।** इलाहाबादः सुपरिन्टेंडेन्ट, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।
    - **1947: पहली पुस्तक 'एबोलिशन ऑफ जमींदारीः टू ऑल्टरनेटिव्स' का प्रकाशन।** किताबिस्तान, इलाहाबाद, यू.पी. पृष्ठ 263

13 मई 1948 - 3 जून 1951: संयुक्त प्रांत (बाद में उत्तर प्रदेश) के प्रीमियर (बाद में मुख्यमंत्री) गोविन्द बल्लभ पंत के संसदीय सचिव

- न्याय एवं विधि विभाग के संसदीय सचिव, जमींदारी उन्मूलन पब्लिसिटी बोर्ड और जमींदारी उन्मूलन कोष का भी प्रभार।
    - 1946: 1967 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) के सदस्य रहे।

- राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रीमियर पंत को अनेक बार त्याग-पत्र प्रस्तुत किया (उदाहरणः बुलंदशहर में रामगढ़ कोर्ट ऑफ वार्ड्स का घोटाला), वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय साथियों के कार्य में गुणवत्ता एवं सामर्थ्य में कमी तथा चरण सिंह ने उन्हें अपनी अपेक्षा कम सक्षम पाया। पंत, जो एक शांत और समावेशी व्यक्ति थे, ने इस्तीफों के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये, चरण सिंह के असंतोष को शांत किया और उनकी ऊर्जा को भविष्य में ऐतिहासिक कार्यों को सम्पन्न करने की दिशा दी।
- **1948-1951: जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक (जेड.ए.एल.आर.)** का प्रतिपादन किया, इसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की प्रमुख उपलब्धि माना।
    - **18 अक्टूबर 1948:** जमींदारी उन्मूलन की अंतिम अनुशंसाओं का विरोध करते हुए 18 पृष्ठ का एक बेहद तार्किक नोट पंत को सौंपा, जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार करनेवाली राजस्व एवं कानून अधिकारियों की मसौदा समिति का प्रभार सौंपा गया और उन्होंने इसे कानून का रूप दिया।
    - **12-17 मई 1949:** मसौदा समिति द्वारा सौंपे गये विधेयक का उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया।
    - **7 जुलाई 1949:** विधेयक विधानसभा की संयुक्त प्रवर समिति को प्रस्तुत किया गया, जिसने 9 जनवरी 1950 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
    - **24 जनवरी 1951:** विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- **12 जून 1950:** सूचना निदेशालय के साथ ही प्रीमियर (मुख्यमंत्री) के संसदीय सचिव का दायित्व सौंपा गया।
    - **1951:** राज्य चुनाव समिति या कांग्रेस संसदीय बोर्ड के सदस्य। वह कटु गुटीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, किन्तु पार्टी में अपना अस्तित्व बचाये रखने को उन्हें इसमें भाग लेना पड़ा। 1965 में इस्तीफा दे दिया।
    - **फरवरी 1951:** प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी की बैठक में पर्याप्त बहुमत के साथ एक प्रस्ताव रखा कि पार्टी के किसी भी सक्रिय सदस्य को जातीय संस्थाओं या संगठनों से सम्बद्ध होने की अनुमति न दी जाये।

4 जून-8 अगस्त 1951: न्याय एवं सूचना मंत्री

9 अगस्त 1951-19 मई 1952: कृषि, पशुपालन और सूचना मंत्री

20 मई 1952-27 दिसम्बर 1954: राजस्व, अल्पता, कृषि, गन्ना विकास, खाद्यान्न विकास और पशु-पालन मंत्री

- **1 जुलाई 1952: उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून का क्रियान्वयन शुरू किया।** चरण सिंह और समर्पित नौकरशाहों की टीम द्वारा बारीकी और सतर्कतापूर्वक तैयार किये गये मसौदे के चलते इस कानून के किसी भी हिस्से को न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकी। 1952 में एक ऐसे प्रदेश में, जहां 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी, खेतिहर किसान और राज्य के बीच से बिचौलिये जमींदारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इन जमींदारों और ताल्लुकेदारों (भूस्वामियों) की मध्यस्थहीनता के कारण इन भूमिहीन बटाईदारों को सीरदार या अधिवासी का स्वतंत्र, आत्मनिर्भर दर्जा प्राप्त हुआ।
- जेड.ए.एल.आर. ने हर ग्रामवासी को उसके घर, कुएँ और पेड़ों का स्वामी बना दिया। यह कानून भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए विशेष रूप से लाभकारी था, जो तब तक पूरी तरह जमींदार की दया पर निर्भर थे। जेड.ए.एल.आर. एवं समेकित (चकबंदी) कानून के तहत आबादी क्षेत्र में भूमि आवंटन में भूमिहीनों को वरीयता दी गई।
- नये कानून के तहत ग्रामीणों को प्राप्त उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से भाषणों का एक जोरदार कार्यक्रम चलाया, सुगठित तर्कों से सज्जित हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार-पत्रों में आलेख, पैम्फलेट्स प्रकाशित कराये और 1952 से 1957 के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विशाल जनसभाएँ कीं।
- **1953: उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम को सूत्रबद्ध और निर्देशित करने का रास्ता तैयार किया।** व्यक्तिगत रूप से किसानों के बिखरे खेतों को एक साथ लाने से उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। चरण सिंह ने भ्रष्टाचार की उन शिकायतों के खिलाफ, जो उनकी जानकारी में लाई गयीं, सख्त कार्रवाई की।
- **फरवरी 1953:** संशोधित भूमि दस्तावेज नियमावली (1952) ने पटवारियों (ग्राम स्तर पर भूमि दस्तावेजों के प्रभारी), जो किसानों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते थे, की शक्तियों को उत्तर प्रदेश में काफी कम कर दिया। भू-स्वामी शक्तियों की प्रतिक्रिया ने इन पटवारियों को उकसा दिया, जो कि समझौता वार्ता के जारी रहने के बावजूद हड़ताल पर चले गये। चरण सिंह ने प्रशासनिक दृढ़ता एवं राजनीतिक निपुणता का कदम उठाते हुए सभी 27 हजार पटवारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह लेखपाल ले आये।
    - उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए नौकरियों में 18% आरक्षण का निर्देश दिया, जिसमें शिक्षा में छूट देने के बावजूद, उपयुक्त अभ्यार्थियों के अभाव के चलते, मात्र 5% भर्ती किये जा सके।

- **1954:** मृदा (मिट्टी) एवं जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश *भूमि एवं जल संरक्षण कानून* बनाया, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में मृदा परीक्षण योजना लागू की गयी।
- **13 सितम्बर 1954:** 30 लाख छोटे जोतदारों, जिन्हें अधिवासी कहा गया, जिनमें 10 लाख अनुसूचित जाति के थे, को भूमि का स्थाई अधिकार प्रदान करने के लिए जेड.ए.एल.आर. कानून में संशोधन किया। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य था, जहां 1952 के जेड.ए.एल.आर. कानून की एक मूल धारा के अन्तर्गत, योजना आयोग की सिफारिशों और उत्तर प्रदेश के भूस्वामियों के दबाव के बावजूद, पूर्व भूस्वामियों (जो स्वयं खेती नही करते थे) को पूर्व जोतदारों से भूमि वापस लेने का अधिकार नहीं दिया गया।
- **1954:** प्रधानमंत्री नेहरू को कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जो यह सुनिश्चित करता कि केवल वे ही युवा, जिन्होंने अपनी जाति के बाहर विवाह किया है या जाति से बाहर विवाह करने को तैयार थे, उन्हें ही सरकारी राजपत्रित सेवाओं में भर्ती किया जायेगा। उनका मत था कि जाति के दुस्साध्य मुद्दे के विघटन की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। नेहरू उनके इस प्रस्ताव से असहमत थे, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन-साथी को चुनना व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता का मुददा है।
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में उनकी ख्याति में वृद्धि हुई। अलबत्ता भूस्वामियों (जमींदारों) से शत्रुता मोल ले ली।
    - 27 दिसम्बर 1954: सरदार बल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री के रूप में पंत दल्ली चले गये। 1937 से 1954- उन्होंने किसानों, जो उनके हृदय के सबसे ज्यादा करीब थे, के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावित करने के लिए पंत के साथ बहुत जुड़ाव से काम किया। बाद में 1979 में चरण सिंह ने इस दौर को अपने राजनीतिक जीवन का स्वर्णिम काल कहा।

28 दिसम्बर 1954 - 9 अप्रैल 1957: डा. सम्पूर्णानंद मंत्रिमंडल में राजस्व, अल्पता एवं यातायात विभाग के कैबिनेट मंत्री

- लेखपालों और अमीनों के पदों हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की भर्ती में 18 प्रतिशत वृद्धि के आदेश राजस्व बोर्ड की ओर से जिलों को जारी किये गये।
- **जून 1957:** राज्य मंत्रिमंडल को एक नोट में सुझाव दिया कि मंत्रीगण अपने वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती करें, आयातित लिमोजिन कारों की जगह छोटी कारों में चलें, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा न लगायें, मंत्रियों के साथ सशस्त्र पुलिस न चले, मंत्रियों को सशस्त्र रक्षक न दिये जायें और मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के अलावा किसी को पुलिस की सलामी न दी जाये।
    - **1956: 'व्हैदर को-आपरेटिव फार्मिंग' पुस्तक का प्रकाशन।** इलाहाबादः सुपरिंटेन्डेंट, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, यूनाइटेड प्रोविंस, इंडिया 1956।

10 अप्रैल 1957 - 31 मार्च 1958: राजस्व, अल्पता विभाग के कैबिनेट मंत्री

- मां नेत्र कौर का 75 वर्ष की आयु में निधन।
    - **1957: *"एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश'* पुस्तिका का प्रकाशन।** प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 1957

1 अप्रैल 1958 -16 नवम्बर 1958: राजस्व, अल्पता, वित्त एवं विक्री-कर विभाग के कैबिनेट मंत्री

17 नवम्बर 1958 - 21 अप्रैल 1959: राजस्व, अल्पता, सिंचाई, ऊर्जा एवं विद्युत परियोजना विभाग के कैबिनेट मंत्री

- **9 जनवरी 1959:** नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 64 वें अधिवेशन में सोवियत रूस से प्रभावित जवाहरलाल के सहकारी खेती के प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा भारतीय कृषि की निर्णायक नीति के रूप में अपनाये जाने के प्रस्ताव के विरोध में एक घंटा बोले।
- सारी दुनिया में सहकारी खेती की विफलता और खुदकाश्त छोटे किसानों की उच्च उत्पादकता से चरण सिंह की दूरदर्शिता जाहिर हुई।
- **22 अप्रैल 1959:** मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द के साथ गहराते मतभेदों के चलते मंत्रिमंडल से त्यागपत्र। 1937 से पहली बार 19 महीने के लिए 6 दिसम्बर 1960 तक मंत्रिमंडल से बाहर रहे।
- नागपुर ए.आई.सी.सी. अधिवेशन में अपने सिद्धातों की प्रतिच्छाया में पार्टी के सहयोगियों के साथ-साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व द्वारा उनको अनदेखा किया गया, किन्तु चरण सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द एवं उनके सहयोगियों को लम्बे समय से प्रशासनिक रूप से अयोग्य एवं भ्रष्ट पाया गया, जिसके बारे में उन्होंने खुद सम्पूर्णानन्द से लेकर नेहरू और पंत को पत्र लिखे।
- उनके इस्तीफे के पीछे तात्कालिक कारण राज्य सरकार के उस निर्णय का सैद्धांतिक विरोध था, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने रिहन्द बाँध से उत्पादित बिजली की किसानों के बजाए बिड़ला ग्रुप के एल्युमिनियम प्रोजेक्ट को सस्ती दरों पर आपूर्ति की।

- **1959:** ***'ज्वाइंट फार्मिंग एक्स-रेड: दि प्रॉब्लम एण्ड इट्स सोल्यूशन'*** **पुस्तक का प्रकाशन** किताबिस्तान, इलाहाबाद, पृष्ठ 322 ।

7 दिसम्बर 1960 - 25 अगस्त 1963: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रभानु गुप्ता की सरकार में गृह, पुलिस, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल

- मुख्यमंत्री द्वारा अनदेखी किये जाने पर असंतुष्ट रहे, उनकी राय में इस अनदेखी की वजह उनकी क्षमता और जनता से उनकी प्रतिबद्धता नहीं बल्कि सहकारी खेती के प्रति नेहरू की सनक थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था।
- पुलिस की कार्य-शैली का स्वरूप जन-हितकारी बनाने का प्रयास किया, जबकि कार्यस्थितियों के चलते पुलिस बल को होने वाली वास्तविक कठिनाइयों को भी समझा और कार्य किया।
  - कानून लागू करते समय पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षित रखने का वचन दिया।
  - भ्रष्टाचार में कमी, यातायात, संचार और तकनीक में सुधार के साथ कांस्टेबलों के अल्प वेतन एवं खराब कार्यस्थितियों में सुधार की आवश्यता पर बल दिया।
  - पुलिस अधिकारी, जो अपराधियों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते थे, उनके आश्रितों को वेतन और पूरी पेंशन प्रदान की।
  - पुलिस की नियुक्ति और तबादलों में राजनीतिकों का दबाव मानने से इंकार, विशेषकर पुलिस सब-इंसपेक्टर स्तर पर, जो तब तक संरक्षण और भ्रष्टाचार का एक स्त्रोत था।
  - इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर लगे दंगे के केस, मानसरोवर सिनेमा पर लूट का केस और उनकी अपनी पार्टी के विधायकों पे चल रहे कई किस्म के अपराधिक मामलो को उन्होंने वापस लेने से इनकार कर दिया।
- मुख्यमंत्री से मतभेदों के चलते 13 मार्च 1962 को उनसे गृह एवं पुलिस मंत्रालय ले लिया गया।
- 1 अक्टूबर 1963 तक कृषि मंत्री रहे।
  - एक कृषि आपूर्ति संगठन द्वारा सभी किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि-संयंत्र प्रदान करने के लिए *'1954 भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम'* में सुधार किया।
- उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित भू-जोत अधिनियम-1960 द्वारा हदबंदी लागू की गयी, जिसमें उन्होंने विशेष रुचि ली।
  - 1960 में पिता मीर सिंह का 80 वर्ष की आयु में में निधन।
    - पिता समान और मार्ग-दर्शक गोविन्द बल्लभ पंत 7 मार्च 1961 को दिवंगत हो गये।

14 अक्टूबर 1963 - 13 मार्च 1967: कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं वन मंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी मंत्रिमंडल में शामिल हुए।

- **1964**: 1939 से अपूर्ण पड़े, 'कृषि विपणन अधिनियम' को कृषि सम्बंधी गतिविधियाँ को नियमित करने के लिए पारित किया।
- **जनवरी 1964:** छोटे और साधारण किसान को आधुनिक वैज्ञानिक तौर-तरीकों से लाभान्वित करने के लिए राज्य वित्त पोषित कृषक समाज की स्थापना की।
  - 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया।
  - उत्तर प्रदेश में साथी संसदीय सचिव रहे लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गये।
- **14 मई 1965:** कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन मंत्रालय उनसे वापिस ले लिये गये।
- **14 मई 1965 से 13 मार्च 1967:** वन विभाग के कैबिनेट मंत्री।
  - जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गईं।
  - **1964:** ***'इंडिया'ज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन'*** **पुस्तक का प्रकाशन,** एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1964, पृष्ठ 527। गांधीवादी विमर्ष पर ग्रामोद्योग ढांचे में लघु उत्पादक के लिए यह उनकी आजतक की सबसे बोधगम्य पुस्तक है।

फरवरी 1967: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक सीट आजादी के बाद से किसी भी चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की अपेक्षा रिकार्ड अन्तर से जीती, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चौथी विधानसभा का गठन हुआ।

- **1967 मार्च के शुरू में:** इंदिरा गांधी के दूतों (उमाशंकर दीक्षित और दिनेश सिंह) ने चरण सिंह को कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता पद का चुनाव न लड़ने के लिए राजी कर लिया।
- **13 मार्च 1967:** सी.बी. गुप्ता, जिन्हें बदले में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद देने का वायदा किया गया था, के प्रयासों से दिल्ली में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई आंशिक रूप से निकट आये।

- **14 मार्च 1967:** चरण सिंह ने सी.बी. गुप्ता मंत्रिमंडल में शामिल होने से इंकार कर दिया, इंदिरा गांधी के दूतों से, दो भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से बाहर रखने का समझौता हुआ था, टूट गया था। उनसे कहा गया कि वह जो चाहें कर सकते हैं।
- कांग्रेस से अलग होने के उनके अंतिम निर्णय को सुनकर कांग्रेस (आर) ने अंतिम पलों में एक मायूस-सा प्रयास किया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद देने का समर्थन किया जा सकता है, यदि वह पार्टी में बने रहें। चरण सिंह ने इंकार कर दिया, उन्होंने अपना रास्ता चुनने का मन बना लिया था। इन कठिन हालात में गायत्री देवी ने उन्हें अपने चुने रास्ते पर चलने की सलाह दी।
- **1 अप्रैल 1967: चरण सिंह ने अपने 16 साथियों के साथ अलग होकर जन कांग्रेस का गठन किया।** आजादी के बाद के दौर में जिस संगठन को बनाने में 38 साल की लम्बी अवधि तक मेहनत की, स्वार्थलोलुप कांग्रेसी नेताओं से मोहभंग के बाद उसे छोड़ने की चरण सिंह के लिए विशेष वजहें थीं - गहरे तक फैला भ्रष्टाचार, विकास की गलत नीतियां और पार्टी में नैतिक गिरावट।
    - क्षेत्रीय नेताओं, जिनका संगठन पर नियंत्रण था किन्तु जनसमर्थन नहीं था, के दावों के ऊपर चरण सिह का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास था। 1960, 1963 और अब 1967 में उनकी अनदेखी की जा चुकी थी; 65 की उम्र में उन नीतियों और योजनाओं को लागू करने, जिन्हें उन्होंने अपने दशकों के राजनीतिक तजुर्बे से विकसित किया था, का समय निकला जा रहा था।
    - अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों में व्यापक रूप से फैलते जा रहे भ्रष्टाचार को वह बेहद नापसंद करते थे और गरीबों के हितों से विमुख होने के कारण उन्होंने उनसे पूरी तरह सम्बंध विच्छेद कर लिया। उनका विश्वास था कि भ्रष्टाचार या नैतिकता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है।
    - आम लोगों, जिनमें से 80% अभी भी गांवों मे रहते हैं, के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाली कृषि, ग्रामीण विकास, लघु एवं कुटीर उद्योग की पक्षधर नीतियों की अनुपस्थिति ने सब बर्बाद कर दिया।
    - वह कार्यपालिका, नौकरशाही और विधायिका को संचालित करने वाले लीवर (नियंत्रण तंत्र) पर से शहरी एवं ऊँची जातियों के नियंत्रण को खत्म करने के पक्षधर थे।

3 अप्रैल 1967 - 25 फरवरी 1968: आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में *संयुक्त विधायक दल* (यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी), विपक्ष के जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एस.एस.पी.), साम्यवादी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन और निर्दलियों के गठबंधन का नेतृत्व किया। 99 विधायकों के साथ जनसंघ और 45 विधायकों के साथ एस.एस.पी. सबसे बड़े घटक थे।

- चार कैबिनेट मंत्री और दो राज्यमंत्री पिछड़ी जाति से, जो राज्य की जनसंख्या की 55% थी, नियुक्त किये, चार मुस्लिम मंत्री और एक नियुक्ति अनुसूचित जाति से की। यह 1937 से किसी भी मंत्रिमंडल में प्रत्येक समुदाय से उच्चतम प्रतिनिधित्व था।
- उत्तर भारत में एक विशिष्ट शक्ति के तौर पर 'अन्य पिछड़ी जाति'; (ओ.बी.सी.) का ऐतिहासिक उत्थान शुरू हुआ।
- **मई 1967** पटना में - बिहार, यू.पी., बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस-जनों द्वारा भारतीय क्रांति दल (बी.के.डी.) का गठन किया गया। 1968 में जन कांग्रेस का बी.के.डी. में विलय हो गया और अप्रैल 1969 में उन्होंने पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की।
- सी. राजगोपालाचारी और उनकी स्वतंत्र पार्टी के विलय की वार्ता हुई, जो कि फलीभूत नहीं हुई। एक संयुक्त पार्टी के लिए उनके मानदंड ऐसे समन्वित संविधान, जिसमें सभी धर्मों के लोगों की सहमति हो, पर आधारित थे।
- विधायकों और मेयर आदि पर एक स्वतंत्र जांच एजेन्सी द्वारा लगे आरोपों की जांच के लिए 'सार्वजनिक जांच अध्यादेश' जारी किया।
- अंग्रेजों द्वारा सहयोगियों को बांटने के लिए बनाया गया ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद कैबिनेट द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गयाः 2 अक्टूबर 1967 को न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पृथक कर दियाः निर्णय लिया गया कि किसी भी शैक्षिक संस्थान को, जिसके साथ जाति-सूचक शब्द जुड़ा है, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी (नतीजतन सभी शिक्षा संस्थानों ने, जिनके नाम जाति से जुड़े थे, शीघ्रता से अपने नाम बदल दिये): उर्दू की तरक्की के लिए कोष जारी किये और 23 मुस्लिम बहुल तहसीलों में सरकारी गजट उर्दू में उपलब्ध कराया; हिन्दी को राज्य प्रशासन की एकमात्र भाषा बनाया; और छोटे खेतों से मालगुजारी कम कर दी। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हिंसा के बावजूद उनके काल में यू.पी. में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, दोनों समुदायों के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस को सभी शक्तियां प्रदान की गयीं और राजनीतिक हस्तक्षेप से अवमुक्त रखा गया।
- अपने घटक दलों की तनातनी के चलते संविद सरकार विघटित हो गयी। जनवरी 1968 में जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सरकारी दौरे पर थीं, चरण सिंह व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहे और उनकी जन-गिरफ्तारी करने की, संविद सरकार के एक घटक

सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की धमकियों को व्यर्थ कर दिया - उनके नेता जेल की सलाखों के पीछे कर दिये गये। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पश्चाताप में डूबे संविद घटकों की मान-मनौबल को पुनर्विचार करने या स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

- उप-चुनाव की घोषणा तक प्रदेश राज्यपाल शासन के अन्तर्गत रहा।

26 फरवरी 1969: उप-चुनाव में उनकी पार्टी बी.के.डी. ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में 425 सदस्यों के सदन में, कांग्रेस के 211 विधायकों के बाद 98 सीट लेकर दूसरे नम्बर पर रही।

- बी.के.डी. ने अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह और मतदाताओं के जमीनी समर्थन के चलते अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन संगठन नया और कमजोर था एवं अमीर पूंजीपतियों के महत्वपूर्ण वित्त-पोषण का अभाव था।
- सी.बी. गुप्ता निर्दलियों की सहायता से एक बार पुनः मुख्यमंत्री चुने गये, चरण सिंह नेता विरोधी दल बने।
- बी.के.डी. ने अपने कानपुर अधिवेशन में अपना राजनीतिक नजरिया, जो गांधीवादी ढांचे के अन्तर्गत गांव, कृषि और ग्राम्य-कुटीर उद्योग-धंधों पर आधारित था, स्थापित किया। इसका व्यापक घोषणा-पत्र एक गरीब और कृषक-राष्ट्र के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समन्वित दृष्टि का उदाहरण है।
- एकल पहचान की दृष्टि से जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय को लेकर विचार-विमर्श हुआ; विचार फलीभूत न हुआ।
- 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सी.बी. गुप्ता के नेतृत्व में 90 विधायकों के साथ कांग्रेस (ओ) और कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में 120 विधायकों के साथ कांग्रेस (आर) (इंदिरा गांधी) में विभक्त हो गई।
  - यहां से इंदिरा गांधी का कांग्रेस के निर्विवाद नेतृत्व के रूप में उद्भव और नई कांग्रेस में स्वतंत्र राज्य नेतृत्व का विनष्ट होना शुरू हुआ। उनकी अधिनायकवादी प्रवृत्ति 1975 के आपातकाल मे अंध-काल के रूप में प्रकट हुई।

17 फरवरी 1970 - 29 सितम्बर 1970: कांग्रेस के दोनों घटकों द्वारा सरकार बनाने के लिए उन तक पहुंच बनाने के बाद चरण सिंह इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) के समर्थन से दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

- भूमिहीनों को हजारों एकड़ भूमि के वितरण-अधिकार, सीरदारी की प्रक्रिया को गति दी।
- उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में छात्र-संघों की अनिवार्य सदस्यता को स्वैच्छिक बनाया।
- बी.के.डी. ने लोकसभा में प्रिवीपर्स समाप्ति के विरुद्ध मतदान किया, क्योंकि भारत में विलय के समय सरदार पटेल द्वारा यह एक पवित्र वचन दिया गया था। बी.के.डी. ने कांग्रेस (आर) में विलय से भी इंकार कर दिया और उनके राजनैतिक रिश्ते शीघ्र ही बिगड़ गये।
- चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इंकार कर दिया। सभी विधायी परम्पराओं और कानूनी अभिमतों के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया।
- एक माह बाद राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों द्वारा इसरार करने के बावजूद उन्होंने एस.वी.डी. सरकार का मुखिया बनने से इंकार कर दिया और कांग्रेस (ओ) के त्रिभुवन सिंह को नई सरकार के गठन के लिए अपना समर्थन प्रस्तावित किया।

मार्च 1971: इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' के नारे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ जुलाई 1969 में संसदीय चुनाव की घोषणा की।

- चरण सिंह भारतीय संसद का पहला चुनाव मुजफ्फरनगर से कम्युनिस्ट पार्टी के विजयपाल सिंह,जिनका कांग्रेस (आर) से चुनावी समझौता था तथा उन्हें भारी वित्तीय सहायता दी गयी थी, से हार गये।
- 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में लखनऊ में रहे।

फरवरी 1974: बी.के.डी. ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में (425 में से 106 सीटों पर जीत) 21% वोट के साथ अच्छा प्रदर्शन किया किन्तु विपक्ष में विखराव के चलते कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त नहीं कर सकी।

- 1973 के घोषणा-पत्र में अनुसूचित जाति को फैक्टरियों में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों, साथ ही परमिट और लाइसेंस में, जिनमें तकनीकी कुशलता की आवश्यकता नहीं थी, 20% आरक्षण प्रस्तावित किया गया।
- **1973**: कांग्रेस के विरोध में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के प्रयास जारी रहे। जनसंघ और कांग्रेस (ओ) साथ-साथ आना नहीं चाहते थे- उदाहरण के लिए मोरारजी देसाई अपनी कांग्रेस (ओ) के लिए सारी सीटों में से आधी चाहते थे।

29 अगस्त 1974: जनतांत्रिक राष्ट्रवादी कदम उठाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प हेतु बी.के.डी., स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (राजनारायण), उत्कल कांग्रेस (बीजू पटनायक), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल (बलराज मधोक), किसान मजदूर पार्टी और पंजाबी खेतीबाड़ी यूनियन के विलय के साथ **भारतीय लोकदल का गठन** हुआ।

- वह एक संविधान और रचनात्मक कार्यक्रम से आबद्ध एक एकल, संयुक्त पार्टी के गठन हेतु निरन्तर प्रयासरत रहे किन्तु दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों - कांग्रेस(ओ) और जनसंघ के अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान छोड़ने के प्रति अनिच्छुक होने और जयप्रकाश नारायण के बिहार में अपनी दल विहीन 'समग्र क्रांति' के प्रयोग में लगे रहने के चलते असफल रहे।
- **16 मार्च 1975:** दिल्ली में जयप्रकाश नारायण, चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, नानाजी देशमुख और राजनारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन हुआ।
    - **12 जून 1975:** हारे हुए उम्मीदवार राजनारायण की चुनाव याचिका पर इंदिरा गांधी रायबरेली में 1971 के चुनाव अभियान के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की दोषी पाई गयीं। उनका चुनाव रद्द हो गया और उन्हें चुनाव लड़ने से 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने संविधान निलंबित कर दिया और 25 जून 1975 की रात को आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा कर दी।

25 जून 1975 - मार्च 1976: चरण सिंह चौथी बार और आजाद भारत में पहली बार जेल गये। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया। इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गये 21 माह के तानाशाहीपूर्ण आंतरिक आपातकाल में पूरे भारतवर्ष से सैकड़ों राजनीतिक नेतागण और दसियों हजार राजनीतिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार जेलों में डाल दिये गये।

- उन्हें 10 x 16 फीट के बिना खिड़की के कमरे में रखा गया, जिसमें 4 x 6 फीट का शौचालय था। अपनी पुस्तक *'इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया'* के लेखन की शुरूआत की। 8 फरवरी 1976 को जनसंघ नेता विजयाराजे सिंधिया तथा नानाजी देशमुख और वरिष्ठ अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य नेताओं, जो वहां मौजूद थे, के साथ विचार-विमर्श के बाद एक संयुक्त राजनीतिक दल ने नया आकार लिया।
- अशोक मेहता एवं अन्य नेताओं के साथ एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट पर बिना नोटिस के जेल से रिहा किये गये।
- **23 मार्च 1976:** रिहाई के बाद आपातकाल की भर्त्सना और इंदिरा गांधी से राजनीतिक विरोध को बल देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में चार घंटे लम्बा ऐतिहासिक भाषण दिया। उनका यह भाषण प्रैस पर पूरी तरह सेंसर लागू होने के कारण जनता के बीच न आ सका।
- कांग्रेस के मुकाबले संयुक्त विपक्ष के एजेण्डे को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल 1976 से 1977 तक अन्य विपक्षी नेताओं के साथ अनेक बैठकें आयोजित कीं। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को चुनावों की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष में जान पड़ गई। उत्तरी भारत में संयुक्त जनता पार्टी का पूरा उत्तरदायित्व लेने के लिए मोरारजी देसाई को अध्यक्ष और चरण सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

23 जनवरी 1977: जनता पार्टी की स्थापना में मदद की, उनकी पार्टी बी.एल.डी. ने उत्तर भारत में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने के लिए आधारभूत चुनावी ढांचा तैयार किया।

- **24 मार्च 1977:** पहली बार भारतीय संसद के लिए चुने गये।

24 मार्च 1977 - 1 जुलाई 1978: भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में केन्द्रीय गृहमंत्री

- कांग्रेस (ओ), जनसंघ, बी.एल.डी. और सी.एफ.डी. घटकों के बीच क्षेत्रीय झगड़ों की शुरूआत, जनता पार्टी में मतभेद गहरा गये। 1 जुलाई 1978 को मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया।
    - **1978: *'इंडिया'ज इकोनॉमिक पॉलिसी: दि गांधियन ब्लूप्रिंट'* का प्रकाशन,** विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ 127 ।

23 दिसम्बर 1978: अपने 76 वें जन्म दिन पर दिल्ली में बोट क्लब पर आयोजित ऐतिहासिक 'किसान रैली' की अध्यक्षता की। कहा जाता है कि आजाद भारत के इतिहास में यह किसानों और ग्रामीणों का सबसे बड़ा जमावड़ा था।

24 जनवरी 1979 - 16 जुलाई 1979: केन्द्रीय वित्त मंत्री और उप-प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी मंत्रिमंडल में वापसी

- संसद में 28 फरवरी 1979 को कृषि, ग्रामीण भारत और लघु उद्योग पर केन्द्रित केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया।
- मोरारजी देसाई के अड़ियल रवैये, जनसंघ घटक की पैंतरेबाजियों, जगजीवन राम और जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर की महत्वाकांक्षाओं तथा राजनारायण और मधु लिमये की कुछ गलत सलाह से किये गये कार्यों ने जनता पार्टी में टूट का रास्ता तैयार किया।

- चरण सिंह धड़े जनता (सेक्युलर) को 76 सांसदों का समर्थन मिला, उन्हें राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी द्वारा सरकार बनाने को आमंत्रित किया गया।

28 जुलाई 1979: कांग्रेस (चव्हाण), अकाली दल, कम्युनिस्ट तथा छोटे दलों के अल्पजीवी गठबंधन और इंदिरा कांग्रेस के 73 सांसदों के बाहर से समर्थन से **भारत के प्रधानमंत्री** पद की शपथ ली।

- चरण सिंह ने आपातकाल की ज्यादतियों के लिए विशेष अदालतों एवं उच्चतम न्यायालय में संजय गांधी पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने से इंकार कर दिया। कांग्रेस (आर) ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह ने संसद में विश्वासमत का सामना किये बिना 20 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया।
- संसद के मध्यावधि चुनाव आयोजित होने तक, 14 जनवरी 1980 तक केयरटेकर प्रधानमंत्री बने रहे।

1980: बागपत, उत्तर प्रदेश से दूसरी अवधि के लिए संसद के लिए चुने गये।

- चुनाव नतीजे उनकी पार्टी लोकदल के लिए एक बड़ा झटका थे। जनता पार्टी के विघटन को जनता ने खारिज कर दिया था, और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आईं। यद्यपि लोकदल (राष्ट्रीय वोटों के 9.4% वोटों के साथ) संसद की 41 सीटें जीतकर कांग्रेस (आई) के बाद संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा। जगजीवन राम के नेतृत्व में शेष बची जनता पार्टी को संसद की कुल 31 सीटें मिलीं।
    - **'इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडियाः इट्स कॉज एण्ड क्योर' पुस्तक का प्रकाशन,** नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ 598 ।

1982: लोकदल में विभाजन

- राजनीतिक मतभेदों के चलते मुख्य सहयोगी उन्हें छोड़ गये।
- विपक्षी एकता के प्रयासों में व्यस्त रहे। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चुनावी गठजोड़ के तहत पहला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया।

1983 – 1984: राष्ट्रीय मसलों में तल्लीन रहे, सिक्ख उग्रवाद का सार्वजनिक रूप से पूरी ताकत से विरोध किया।

- इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस के विरोध में राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र बने। 21 अक्टूबर 1984: लोकदल, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, उत्कल कांग्रेस और अन्य छोटे दलों को मिलाकर 'दलित मजदूर किसान पार्टी' का गठन किया।
- 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की घृणित हत्या कर दी गयी और जनता ने उनके पुत्र राजीव गांधी को 542 में से 411 सीटों के साथ ऐतिहासिक महाविजय प्रदान की।
- चरण सिंह अपनी पार्टी के तीन सांसदों सहित, बागपत से तीसरी और अंतिम बार सांसद चुने गये।

25 नवम्बर 1985: उन्हें मस्तिष्क का आघात लगा, जिसने अगले 18 माह के लिए उन्हें निष्क्रिय बना दिया ।

- 14 मार्च 1986: अमेरिका के बाल्टीमोर स्थित जॉन हॉपकिन्स अस्पताल में इलाज हुआ, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। वह कोमा में चले गये।

29 मई 1987: 85 वर्ष में 7 माह कम रहने के चलते 29 मई को निधन हो गया।

- दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि के पार्श्व में *'किसान घाट'* पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और वह अमर हो गये।

स्त्रोत

फरवरी 1994 में चरण सिंह की पत्नी श्रीमती गायत्री देवी द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली (NMML) को प्रदान किये गये ऐतिहासिक तथ्यों से समावेशित 'चरण सिंह पेपर्स' (C.S.Papers) की संख्या 30 हजार से ऊपर है। इन पेपर्स में चरण सिंह द्वारा अपने पचास वर्ष के सार्वजनिक जीवन के बारीकी से इकट्ठा किये गये दस्तावेजी विवरण शामिल हैं,जो उनके जीवन एवं कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर भावी शोध के एक स्त्रोत हैं। सबसे शुरूआती दस्तावेजों में संयुक्त प्रांत में 'किसान संतानों' को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से सम्बंधित 1939 का हस्तलिखित दस्तावेज है और सबसे नया अक्टूबर 1985 की उनकी पुस्तक 'राईज एण्ड फॉल ऑफ दि जनता पार्टी' की अधूरी पाण्डुलिपि है। (सी.एस. पेपर्स की अनुक्रमाणिका https://charansingh.org/archives पर है।), चरण सिंह अभिलेखागार ने 2013 से चरण सिंह के हजारों फोटोग्राफ्स, वीडियो'ज, भाषण, उन पर लिखीं जीवनियों, उनके द्वारा लिखी गयी सभी पुस्तकों, साथ ही लखनऊ और दिल्ली में दिये उनके विधायी भाषणों का एकत्रीकरण किया है।

मैंने चरण सिंह के उनके अपने शब्दों पर भारी विश्वास किया है, क्योंकि वह प्रखर इतिहास बोध से सज्ज ब्यौरेवार लिखित प्रमाण रखने वाले व्यक्ति थे। इन पेपर्स में से कुछ हैं: सी.एस. पेपर्स किस्त-II, सब्जेक्ट फाईल #49, 'चरण सिंह का बायो-डाटा.....', सी.एस. पेपर्स किस्त-I-III,99 पृष्ठ की पुस्तिका 'हू इज ए कुलकः लेट लैण्ड रिफार्म्स ऑफ यू.पी. टेस्टिफाई' बाई चरण सिंहः अध्याय-1 और अन्यों में हैं 'लैण्ड रिफार्म्स इन यू.पी. एण्ड दि कुलक्स', विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1986 किस्त-II, सब्जेक्ट फाईल #49 'बायो-डाटा ऑफ चरण सिंह'; किस्त-II, सब्जेक्ट फाईल #416 'लाइफ स्केच ऑफ चरण सिंह'; एवं 1972 में लखनऊ में एन.एम.एम.एल. के लिए लिया गया साक्षात्कार।

दूसरा ऐतिहासिक स्त्रोत उनके जीवनकाल में और उनके बाद ऐसे लेखकों, जिन्होंने उनके साथ पर्याप्त समय व्यतीत किया, द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। मैंने जिन प्रकाशनों को प्रमुख समझा, उनसे तिथियों और घटनाओं का सत्यापन किया है, वे इस प्रकार हैं: शर्मा, जयदेव, सम्पादक, प्रताप; **परंतप,** देशभक्त मोर्चा प्रकाशन, 1978; पाण्डेय अनिरुद्ध, **धरती-पुत्र चौधरी चरण सिंह,** ऋतु प्रकाशन, 1986; गोयल, सुखवीर सिंह, **ए प्रोफाइल ऑफ चौधरी चरण सिंह** 1978; सिंह, नत्थन, **किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह** (1902-1987), नई दिल्ली, किसान ट्रस्ट, 2002 ।

अन्ततः, **पॉल ब्रास** एक प्रेरणा-स्त्रोत रहे हैं। पॉल ने 1960 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्षेत्रीय राजनीति पर अपने शोध की विस्तृत सामग्री मेरे साथ उदारतापूर्वक साझा की। चरण सिंह के एक आत्म-स्वीकृत प्रशंसक, परन्तु किसी भी तरह से समालोचना के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं, पॉल का 25 सितम्बर 1993 के 'इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली' में प्रकाशित लेख 'एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ' चरण सिंह की राजनीतिक यात्रा का मुख्तसर (थोड़े में पर्याप्त) और प्रवाहपूर्ण कथात्मक वर्णन है। https://charansingh.org/biography

पॉल ने 1981 में चरण सिंह से उनकी राजनीतिक जीवनी लिखने का अनुमोदन प्राप्त किया था (जिसके लिए उन्हें चरण सिंह द्वारा बड़ी संख्या में संग्रहीत उनके कागजात देखने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी), जो कि पॉल के पछतावे के साथ, 1987 में श्री सिंह के निधन के काफी वर्ष बाद 2011 में प्रकाशित हुई। आज ये तीन खण्डों में उपलब्ध हैं: 'एन इंडियन पॉलिटिकल लाईफः चरण सिंह एण्ड कांग्रेस पालिटिक्स', खण्ड 1, 1937-61 (2011), खण्ड 2, 1957-67 (2012) और खण्ड 3, 1967-87 (2014)। सेज पब्लिकेशंस, दिल्ली। उनकी विद्वता ने यह संक्षिप्त जीवनी लिखने के लिए मुझे प्रेरणा दी और इसके लिए मैं श्री पॉल का सदैव आभारी रहूँगा।

हर्ष सिंह लोहित

गुड़गांव

2 अक्टूबर, 2018

Notes

Notes